प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 20 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-47796/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025) दिनांक-30-12-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी, जो 2/39, विकास नगर, थाना-विकास नगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। प्रथम केस में बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० वी०के० आर्या तत्कालीन सी०एम०ओ० परिवार कल्याण की हत्या कर दी। द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2011 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० बी०पी० सिंह तत्कालीन सी०एम०ओ० परिवार कल्याण की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-8000882/2013, धारा-302/34 व 3/25/27 आयुध अधिनियम में मा० विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. कोर्ट संख्या-2, लखनऊ के आदेश दिनांक-03.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं-8000035/2013, धारा-302/34 व 3/25/27 आयुध अधिनियम में मा० विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. कोर्ट संख्या-2, लखनऊ के आदेश दिनांक-03.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 01.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 24 दिन, द्वितीय केस में अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी का आपराधिक इतिहास है पुन: अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुत नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केस डा० सचान और मृतक के मध्य एनआरएचएम फण्ड को लेकर मतभेद थे। डा० सचान द्वारा दिनांक 27.10.2010 को कुछ धनराशि देकर बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० वी०के०आर्या तत्कालीन सी०एम०ओ० की हत्या कर दी। द्वितीय केस डा० सचान और मृतक के मध्य एनआरएचएम खर्चों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराये जाने से झुब्ध थें। डा० सचान द्वारा दिनांक 02.04.2011 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० बी०पी० सिंह तत्कालीन सी०एम०ओ० की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई परिलक्षित

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द प्रकाश तिवारी (बन्दी संख्या-514/2024) पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी, निवासी जनपद-लखनऊ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-546/2026/2522(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-546/2026/2522/22-2-2025-17(1177)/2025

दिनांक: 20 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी, जो 2/39, विकास नगर, थाना-विकास नगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। प्रथम केस में बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० वी०के० आर्या तत्कालीन सी०एम०ओ० परिवार कल्याण की हत्या कर दी। द्वितीय केस में दिनांक 02.04.2011 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० बी०पी० सिंह तत्कालीन सी०एम०ओ० परिवार कल्याण की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-8000882/2013, धारा-302/34 व 3/25/27 आयुध अधिनियम में मा० विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. कोर्ट संख्या-2, लखनऊ के आदेश दिनांक-03.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एसटी नं-8000035/2013, धारा-302/34 व 3/25/27 आयुध अधिनियम में मा० विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. कोर्ट संख्या-2, लखनऊ के आदेश दिनांक-03.07.2024 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 01.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 24 दिन, द्वितीय केस में अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 00 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 02 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी का आपराधिक इतिहास है पुन: अपराध कारित किये जाने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुत नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केस डा० सचान और मृतक के मध्य एनआरएचएम फण्ड को लेकर मतभेद थे। डा० सचान द्वारा दिनांक 27.10.2010 को कुछ धनराशि देकर बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० वी०के०आर्या तत्कालीन सी०एम०ओ० की हत्या कर दी। द्वितीय केस डा० सचान और मृतक के मध्य एनआरएचएम खर्चों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराये जाने से झुब्ध थें। डा० सचान द्वारा दिनांक 02.04.2011 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर डा० बी०पी० सिंह तत्कालीन सी०एम०ओ० की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 विन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र श्री केदार नाथ तिवारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।